

URGENT

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology

खनिज भवन, उदयपुर- 313001 दूरभाष : 2423110, फेक्स (0294) - 2410526
e-mail : dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक DMG/DMGOMS/WB Empanelment/2017/289-90 दिनांक: 15-10-18

समस्त खनि अभियंता

समस्त सहायक खनि अभियंता (उपखण्ड)

विषय:- वे-ब्रिज पर लगाये जाने वाले कैमरों के संबंध में दिशा-निर्देश।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के ई-रवन्ना/ई-टी.पी. के माध्यम से निर्गमन होने वाले खनिज वाहनों के वजन के लिये एम्पेनल्ड वे-ब्रिज पर कैमरे लगये जाने हैं जो कि, वे-ब्रिज पर गाडी की तुलाई के समय खनिज के वजन के साथ-साथ कैमरो द्वारा ली गयी फोटों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से खान विभाग को प्रेषित होगी।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2138 दिनांक 05.10.2018 के क्रम में दिशा-निर्देश निम्नानुसार है-

- 1- प्रत्येक वे-ब्रिज पर न्यूनतम दो कैमरे लगाये जाने आवश्यक है।
- 2- दोनो कैमरे वे-बिज पर इस प्रकार से लगाये जाने हैं कि गाडी के फोटो के साथ-साथ वे-ब्रिज प्लेटफार्म/चबूतरा (जिस पर गाडी खडी है) भी फोटो में स्पष्ट दिखाई दे।
- 3- वे-बिज पर एक कैमरा आगे की ओर और दूसरा कैमरा गाडी की लम्बी बाँडी वाली साईड में लगाया जाना है। आगे की ओर लगने वाला कैमरा गाडी के साथ-साथ गाडी के आगे की नम्बर प्लेट और प्लेटफार्म/ चबूतरा (जिस पर गाडी खडी है) की स्पष्ट फोटो खिचेगा। दूसरा कैमरा ऊपर की ओर इस तरह लगाया जाना है जिससे गाडी की ऊपरी बाँडी के साथ-साथ प्लेटफार्म/चबूतरा की स्पष्ट फोटो ली जा सके। वे-ब्रिज लोकेशन पर कैमरा किस प्रकार लगाया जाना है, चित्र सं0-1 में दर्शाया गया है। ई-रवन्ना/ई-टी.पी. को कन्फर्म करते समय फोटो किस प्रकार ली जानी है इसे चित्र सं0-2 में दिखाया गया है।

4- कैमरा स्पेसिफिकेशन-

1. Resolution - न्यूनतम 1.3 मेगापिक्सल और 1280x720 पिक्सल ईमेज क्वालिटी ।
2. IR Range& न्यूनतम 20 मीटर (नाईट विजन हेतु)।
- 3- न्यूनतम IP66 श्रेणी।

अतिरिक्त संसाधन (Additional Accessories) Optional-

1. Flood light: न्यूनतम 16 वॉट लाईट अन्धेरे और कम रोशनी के समय स्पष्ट फोटो हेतु।
2. Dust/Sun/Rain Shield: सूरज की तेज रोशनी, धूल और बरसात से बचाव हेतु कवच।

सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हेतु-

1. सॉफ्टवेयर द्वारा टर्मिनल से वजन लेते समय ही दोनो कैमरों से फोटो केप्चर की जानी रहेगी। फोटो केप्चर हेतु कोई अलग से प्रावधान साफ्टवेयर में नहीं दिया जाना है।
2. केप्चर की जाने वाली ईमेज /फोटो 16-बिट ग्रे-स्केल पर होनी चाहिये।


3. सामने वाले केमरे से ली जाने वाली ईमेज गाडी और गाडी के नम्बर प्लेट के साथ-साथ वे-ब्रिज प्लेटफार्म को भी स्पष्ट रूप से केप्चर करनी चाहिये।
4. साईड वाले दूसरे केमरे से गाडी की साईड की बाडी एवं उपर की बाडी के साथ-साथ उस साईड वाले वे-ब्रिज प्लेटफार्म को भी स्पष्ट रूप से केप्चर किया जाना है।
5. फोटो न्यूनतम 1280x720 पिक्सल पर लिया जाना है।
6. खान विभाग को साफ्टवेयर के जरिये प्रेषित किये जाने वाली फोटो की साईज 100KB से 500KB के मध्य मे रहेगी।


उक्त निर्देशानुसार समस्त एम्पेनलड वे-ब्रिज पर दिनांक 31.10.2018 तक कैमरे लगाया जाना सुनिश्चित करे। निर्धारित तिथि तक वे-ब्रिज पर कैमरा नही लगाने पर वे-ब्रिज का एम्पेनलमेंट स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।


(जे.के. उपाध्याय)IAS
निदेशक


क्रमांक DMG/DMGOMS/WB Empowerment/LOA/2017-2018 दिनांक: 15/10/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं भू-विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0/सर्तकता मु0।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन- जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/ कोटा, अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत -जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/ कोटा/बीकानेर/ भरतपुर/ भीलवाडा/अजमेर/राजसमन्द व्यक्तिशः पालनार्थ सुनिश्चित करावे।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) वृत-जयपुर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/ बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा/अजमेर।
5. समस्त खनि अभियन्ता (सर्तकता)।
6. समस्त सहायक खनि अभियन्ता (सर्तकता)



(बाल मुकुन्द असावा)RAS
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)एवं
नोडल अधिकारी (DMGOMS)





Camera Layout – Part 1



Sample Photo from Side Camera



Sample Photo from Front Camera



Camera Layout – Part 2